निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक 1939 (श0)
(सं0 पटना 1055) पटना, मंगलवार, 14 नवम्बर 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई 2017

सं० 22 / नि0सि0(वीर0)–07–01 / 12–1222—श्री महेश प्रसाद ठाकुर, तत0 अधीक्षण अभियंता, बराज अंचल वीरपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध वर्ष 2011–12 में कोशी बराज के U/S में प्रस्तावित चैनल एवं वेलमाउथ में जमे सिल्ट का ड्रेजींग कर हटाने के कार्य में बरती गयी अनियमितता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–871, दिनांक 04.07.14 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री ठाकुर से प्राप्त स्पष्टीकरण के जवाब की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। विभागीय समीक्षोपरांत निम्न आरोपों के लिए श्री ठाकुर के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 740 दिनांक 27.03.15 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :–

"जब आप बराज अंचल, वीरपुर में अधीक्षण अभियंता के पद पर पदस्थापित थे तब कोशी बराज U/S में प्रस्तावित पायलट चैनल एवं वेल माउथ में जमें silt हटाने के कार्य में हुई अनियमितता की जाँच विभागीय निदेश के आलोक में उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि उक्त कार्य एकरारनामा सं०–01SBD/2010-11 के शर्त के अनुसार Even विपत्र की जाँच Ocean Engineering Department IIT Madras/Bombay/Kharagpur से सत्यापन कराने का प्रावधान था, परंतु एकरारनामा शर्त्तो का अनुपालन नहीं करते हुए तत0 कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर द्वारा सेक्शनल मेजरमेंट के आधार पर भुगतान किया गया है।

Ocean Engineering Department IIT Madras/Bombay/Kharagpur से शर्त्तो के अनुसार तत0 कार्यपालक अभियंता द्वारा अनुरोध किये जाने के बावजूद भी आपके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी जबकि आप सक्षम प्राधिकार थे।

इस प्रकार एकरारनामा शर्त के अनुसार Even विपत्र की जाँच हेतु कार्रवाई नहीं करने के लिए आप दोषी प्रतीत होते हैं।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा मुख्य रूप से निम्न का उल्लेख किया गया है :–

उक्त कार्य का एकरारनामा 15.03.11 को किया गया था। तत0 कार्यपालक अभियंता, द्वारा अधीक्षण अभियंता को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी। फलस्वरूप वरीय पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कि गयी। यदि उक्त पत्र की प्रति आरोपित पदाधिकारी तत0 अधीक्षण अभियंता को दी गयी होती तो इनके द्वारा भी कार्रवाई ससमय की

जाती। तत0 कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य पूर्ण होने के अंतिम समय में अपने पत्रांक 490, दिनांक 31.05.11 द्वारा सीधे मुख्य अभियंता, वीरपुर को सूचना दी गयी तथा इसकी प्रति आरोपित अभियंता तत0 अधीक्षण अभियंता को भी प्रेषित की गयी। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव में उल्लेख किया गया कि उन्हें दिनांक 15.06.11 को तत0 मुख्य अभियंता, वीरपुर का पत्र प्राप्त हुआ जबकि निर्मित पायलट चैनल का मुँह तत0 मुख्य अभियंता के निदेश के आलोक में 14.06.11 को ही खोल दिया गया था। अतएव आरोपित पदाधिकारी पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री महेश प्रसाद ठाकुर, तत0 अधीक्षण अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री महेश प्रसाद ठाकुर, तत0 अधीक्षण अभियंता, बराज अंचल, वीरपुर सम्प्रति सेवानिवृत को आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राकेश मोहन,
सरकार के संयुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1055-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in